राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 14 / 2022

बृजमोहन गोस्वामी –अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, सम्भाग जोधपुर।
3. सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जैसलमेर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 19.07.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री गजेन्द्र, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक के पद पर दिनांक 25.01.1989 को हुई थी। प्रथम नियुक्ति की दिनांक 25.01.1989 से 9 वर्ष की सेवावधि पूर्ण कर लिए जाने पर प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 25.01.1998 से देय होता है। अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 30.03.2004 से त्रुटिपूर्ण रूप से प्रदान किया गया, जबकि अपीलार्थी प्रथम नियुक्ति की दिनांक के 9 वर्ष बाद ही प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी था। अपीलार्थी 18 वर्ष की सेवावधि पूर्ण करने पर दिनांक 25.01.2007 से द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी था एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 25.01.2016 से तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी था। परन्तु अपीलार्थी को देय दिनांक से लाभ प्रदान नहीं किया गया। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की हैः–

> ''अतः उपरोक्त अपील प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि उक्त अपील को सव्यय स्वीकार फरमाया जाकर प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिए जाए की वे अपीलार्थी को उसकी प्रथम नियुक्ति दिनांक 25.01.1989 से क्रमश 09, 18 एवं 27 वर्षीय सेवा अवधि पूर्ण करने की क्रमशः दिनांक 25.01.1998, दिनांकः 25.01.2007 एवं दिनांक 25.01.2016 से देय प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान के लाभ प्रदान करावे तथा उक्त चयनित

वेतनमान की एरियर राशि मय 18 प्रतिशत ब्याज (विलम्ब अवधि पेटे) अदा कराये जाने की कार्यवाही एवं पेंशन विभाग को तदनुसार संशोधित पैंशन लाभ के प्रस्ताव भिजवाने की कार्यवाही प्रत्यर्थी विभाग के स्तर पर कराने के आदेश प्रदान करावें। अपीलार्थी को प्रत्यर्थीगण से विशेष हर्जाना राशि भी दिलाई जावें । अन्य कोई न्यायोचित राहत, जिसे अपीलार्थी प्राप्त करने की अधिकारी हो, प्रदान फरमाई जावें।''

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी की जो प्रथम नियुक्ति हुई थी वह कनिष्ठ लिपिक के पद पर अस्थाई रूप से तदर्थ रूप में की गई थी, जो कि आरपीएससी से नियमित अभ्यर्थी की नियुक्ति की तिथि तक प्रदान की गई थी। बाद में अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति आदेश दिनांक 30.03.1993 के द्वारा की गई। कनिष्ठ लिपिक के पद पर तदर्थ रूप से दिनांक 01.01.1985 से दिनांक 31.03.1990 की अवधि में नियुक्त कर्मचारियों के लिए आयोजित कार्यालय दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किए जाने के फलस्वरूप उन्हें नियमित नियुक्ति प्रदान की गई। इस आधार पर अपीलार्थी को नियमित नियुक्ति आदेश दिनांक 30.03.1993 से प्रदान की गई। नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही सेवा की गणना करने पर चयनित वेतनमान का लाभ देय है। इस संबंध में राजस्थान सरकार वित्त विभाग द्वारा आदेश दिनांक 29.06.2009 जारी किया गया। जिसमें नियमित नियुक्ति से ही चयनित वेतनमान का लाभ दिए जाने के निर्देश दिए।

3. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

4. हम पाते है कि अपीलार्थी ने प्रथम नियुक्ति अस्थाई रूप से हुई थी तथा अपीलार्थी को नियमित नियुक्ति दिए जाने के संबंध में कार्य दक्षता परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके फलस्वरूप अपीलार्थी को आदेश दिनांक 30.03.1993 के द्वारा नियमित रूप से नियुक्त किया गया था। अतः अपीलार्थी की दिनांक 30.03.1993 के पूर्व की सेवाएं तदर्थ रूप में मानी जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डी.बी. स्पेशल रिट संख्या 589/2015 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रा राम में पारित तीन न्यायाधिपति की पीठ के निर्णय दिनांक 03.07.2017 का अवलोकन करें तो उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न बिन्दूओं पर अपना निर्णय दिया हैः–

"(a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?

(b) Whether their order of regularization is still valid or has been annulled?

(c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?

(d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?

(e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"

उपरोक्त बिंदूओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है :–

37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surendra Mahnot & Ors. (supra); we are of the opinion that the respondent - employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.

38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two decades the regularization period was not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the Government to end the regularization. However, regularization will be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.

39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from the date of regularization. When the future benefit of 9, 18 and/or 27 will be considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9, 18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.

40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the purpose of seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.

41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for regularization, date of regularizing ad-hoc period will not have any effect on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay down correct law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

5. हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी की सेवाएं कार्य दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किए जाने के पश्चात ही नियमित की गयी है। उससे पूर्व की सेवा तदर्थ रूप में दी गयी थी। नियमितिकरण की दिनांक से ही अपीलार्थी की सेवाएं नियमित मानी जा

सकती है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि नियमितिकरण की दिनांक से ही कार्मिक की सेवाएं मानी जानी चाहिए। यह भी माना है कि चयनित वेतनमान एवं अन्य लाभों के सम्बन्ध में नियमितिकरण की दो भिन्न तारीखे नहीं हो सकती। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की जो सेवाएं कार्य दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किए जाने के बाद नियमित की गयी है, उससे पूर्व की सेवा को अपीलार्थी एसीपी एवं अन्य लाभों के लिये अपनी सेवा में नहीं जुड़वा सकता है।

6. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)